कोविड–19 / महत्वपूर्ण

संख्या– 745 / 71–1–2021 / जी–228 / 2017–टीसी–1

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. कुलपति / कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ / यू0पी0 यू0एम0एस0, सैफई।
3. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ / एस0जी0 पी0जी0आई0, लखनऊ / जी0आई0एम0एस0, ग्रेटर नोएडा / एस0एस0पी0 एच0 एण्ड पी0जी0टी0आई0 नोएडा / सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा / मेरठ / प्रयागराज / कानपुर / झांसी / गोरखपुर / अम्बेडकरनगर / आजमगढ़ / सहारनपुर / कन्नौज / जालौन / बॉदा / बदायूँ।
5. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या / बस्ती / बहराइच / फिरोजाबाद / शाहजहॉपुर।
6. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा / हरदाई / सिद्धार्थनगर / देवरिया / गाजीपुर / मिर्जापुर / जौनपुर / फतेहपुर / प्रतापगढ़।
7. प्रधानाचार्य / निदेशक, निजी मेडिकल कालेज / संस्थान।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 25 मई, 2021

विषय– कोविड–19 महामारी से संक्रमित भर्ती मरीजों के निगेटिव होने के पश्चात पोस्ट कोविड मरीजों का निःशुल्क उपचार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में कोविड–19 बीमारी का स्वरूप इस प्रकार का है कि कतिपय प्रकरणों में आर0टी0पी0आर0 रिपोर्ट निगेटिव होने के बावजूद पोस्ट कोविड समस्याओं के दृष्टिगत मरीज को अस्पताल में ही रहना पड़ता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित अस्पतालों में नान कोविड मरीजों से कुछ सेवाएं भुगतान के आधार पर उपलब्ध होती है। वर्तमान समय में कुछ चिकित्सा संस्थानों द्वारा जिज्ञासा की गयी है कि कोविड–19 से निगेटिव मरीजों को सामान्य वार्डों में रखे जाने की स्थिति में उनसे उक्तानुसार भुगतान प्राप्त किया जाय अथवा नहीं।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 संक्रमित भर्ती मरीजों की जॉच में निगेटिव होने के पश्चात पोस्ट कोविड मरीजों के सामान्य वार्ड में भर्ती रहने की स्थिति में उनके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

कृपया तद्नुसार निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 745 (1)/71–1–21, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. समस्त जिलाधिकारीगण।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।